

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित विभागों में एवं परिवर्तन महंगाई भत्ता कार्यालय के एवं संख्या-010-25 प्रयोग-(एफएचएचए)/10 दिनांक 05-10-2021 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजका सं-194/30-3-2014-07(एफएचए)/4 दिनांक 28-01-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/30-3-2019-031(एफएचए)/6 दिनांक 05-09-2014 द्वारा 16 अनुसूचित विभागों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण करते हुए अगणन विगत किया गया था जिसके फलस्वरूप-4 में टकरान में जुटि को सम्मिलित करते हुए संशोधित अगणन विगत किया जा रहा है।।

उक्त के अनुक्रम में नियोजित 74 विभागों में नियोजित कर्मचारियों के विवे अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक अक्षर वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 345 अंकों के ऊपर जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 345 अंकों पर दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भांति गणना करके देय होगा-

दृष्टान्त- 8750-5750/-प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अनुसूचित श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-345 पर दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-3-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(345-216) X 5750-8750/-प्रतिमाह
216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नस्त है-

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपरे में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपरे में		दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	
			दिनांक 01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.10.2021 से 31.3.2022 तक	कुल मजदूरी (रूपरे में)	दैनिक मजदूरी (रूपरे में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसूचित	5750	3328	3434	9184	353.23
2	अर्ध-अनुसूचित	8325	3660	3777.29	10,102.29	389
3	कुशल	7085	4100	4231.16	11216.16	435.23

विभागों के नाम-

1. स्वर की विनिर्माणशाला और स्वर उत्पाद(टावर और टयूर सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथान उद्योग।
4. वाशिंग मशी (एलेट्रेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल फर्म।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बीज संतृप्त के निर्माण और अनुसूचण, सिंबाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
13. इलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अधिसूचन उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सार्वभूमिक।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ सार्वभूमिक और फनीचर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक संस्थाएँ भी सम्मिलित है।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. यांत्रिकी (फारेस्ट्री) संस्था बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में
27. वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28. भावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण सक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. चिकन के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. चर्म विनिर्माणशाला।
40. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।

41. गणना और धुलाई उपकरण।
42. क्लिपसाही।
43. कोयल स्टोरेज।
44. पाटरी, विनिर्मित या विनिर्मित।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा उद्योग।
48. मिलान उद्योग।
49. एल्युमिनियम, आर्गैटिक, यूरानी कार्बोनी।
50. कपड़ा।
51. हथकरघा/शिल्प की सादी की धुलाई जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रकाशन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का धुल या प्रकाशक विनिर्माण।
53. कमी कपड़ा बनाने के अतिथान।
54. धातुसाही।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति संचित करघा उद्योग।
57. छोटा/मिनी/एयर) बल्ब एवम् कोयल उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गला और वेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्टा उद्योग।
60. गला उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तन एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी मुद्रण और सेवा प्रदाता अधिकरण में नियोजित मुद्रण कमी(मुद्रण कर्मियों) जिन्होंने हथियार सहित/हथियार रहित आदि कमी सम्मिलित हो।
63. मुद्रण और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौभाग्यों का निर्माण(प्रतिबंध) अधिनियम, 1982 के अन्तर्गत के विधिद किया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरतु कामगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हाईवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एल्युमिनियम वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टेक्नीक, आटोरिकला/टेम्पो एवं टेक्निग अधिकरण में नियोजन।
68. कंठित आपरटेर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी सफाई(एनजीओ) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विद्युत संदर्भन(विद्युत संदर्भन(सेवा शरी) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. होम क्रेडिट सेलुल एवं ग्रुटी चालर(पुरुष एवं महिलायों) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. कार सेंटर/आईटी/एडवर्टीज/टेलेकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिथान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आछादित न हों, में नियोजन।

(आरपीओमुद्रण)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० टी० रोड, कानपुर।
संख्या 630-37 प्रवर्तन-(एमओडब्लू)/15 दिनांक 08/10/2021

प्रतिनिधि-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ०प्र० को इस आक्षेप से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावे तथा समिति, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा भोगे जाने पर उपाय लें करए।
2. अनुसूचित उ०प्र०शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (विज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिसाही निदेशक उद्योग कृ लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त (आई० अर०) मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री दिग्विजय कुमार, पुरतकालसाध्यक, मुख्यालय को अभिलेखाप्रेष प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में विशुद्ध प्रकाशनार्थ।

(आरपीओमुद्रण)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।